5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
CANCELLED

(140)

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर कैम्प जबलपुर
= =
निग - 931 - I - 16

नारायणसिंह आ. श्री जगन्नाथ लोधी
निवासी ग्राम पाला, तहसील नरसिंहपुर
जिला- नरसिंहपुर .... आवेदक

(124)

वि.

महेन्द्र कुमार आ. सूरतसिंह मेहरा
निवासी ग्राम पाला तहसील नरसिंहपुर
जिला नरसिंहपुर ..... अनावेदक

श्री ... अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार ...
10 JUN 2016
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

कैम्प जबलपुर प्राप्त 29.6.16

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959
- -

आवेदक निम्नानुसार निवेदन करता है :-

पुनरीक्षण के तथ्य
----

1. यह कि आवेदक यह पुनरीक्षण याचिका मौजा पाला, ब.क्र. 305 प.ह.नं. 53 तहसील व जिला नरसिंहपुर न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार नरसिंहपुर के रा. प्र. क्रं. 17 अ/12 वर्ष 2015-16 में प्रस्तुत राजस्वनिरीक्षक मंडल बघई का प्रतिवेदन दिनांक 23.5.16 में पारित आदेश दिनांक 28.5.16 से पीडित होकर अन्यानेक आधारों में से निम्नांकित कुछ आधारों पर निम्नानुसार प्रस्तुत कर निवेदन करता है उक्त पुनरीक्षण याचिका समय अवधि में प्रस्तुत की जा रही है अतः ग्राह्य किए जाने योग्य होने से ग्राह्य की जावे -

2, यह कि अनावेदक महेन्द्र कुमार ने श्रीमान तहसीलदार महोदय नरसिंहपुर को मौजा पाला नं.ब. 305 प.ह.नं. 53 तहसील नरसिंहपुर की सेवा भूमि ख.नं. 81, 82 रकबा क्रमशः 3.019 हे. एंव 0.910 हेक्टर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र राजस्व निरीक्षक श्री शिवप्रसाद उइके से कराने हेतु दिया जिसके आधार पर राजस्व प्रकरण क्रं. 17 अ/12 वर्ष 2015-16 पंजीबद्ध किया गया तथा सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत राजस्व निरीक्षक को आदेशित किया गया ।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2131-एक/16 **जिला** - नरसिंहपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/02/2019	आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के सीमांकन आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.04.2019 को अनुविभागीय अधिकारी तह. व जिला नरसिंहपुर के समक्ष उपस्थित हों। (सदस्य) **<u>अनुविभागीय अधिकारी नरसिंहपुर</u>**	